फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

ढेमली (सन्तोष) बनाम राजस्थान सरकार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0 नं0 ....सन –2023

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2023	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री महावीर सैनी द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। प्राथर्ना पत्र दर्ज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 18–01–2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर 18-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27-2-24 को पेश हो। 27-2-24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का काम स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 23-4-24 को पेश हो। 23-4-24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री रसीद मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की तहसीलदार अलवर को रिपोर्ट बाबत पत्र जारी हो पत्रावली दिनांक 19-6-24 को पेश होवे।	

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

19/06/24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 10/9/24 को पेश हो।

रीडर

10/9/24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 3/12/24 को पेश हो।

रीडर

Scanned with OKEN Scanner

03-12-24

पत्रावली पेश हुई रिपोर्ट तहसीलदार अलवर प्राप्त बदल सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 16-12-24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

16-12-24

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/41	18.12.2023	136 LR Act	16.12.2024

उनवान

1:–श्रीमती ढेमली (सन्तोष) पत्नि बडडन उम्र करीब 55 साल जाति जाटव निवासी चावन्ड कालोनी, खुदनपुरी रोड अलवर

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन सायला ढेमली पत्नि बडडन व श्रीमति बादामी देवी पत्नि बुद्धनलाल ने आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 29 ऐयर चाही तृतीय वाके ग्राम चिरखाना सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर ने जरिये बयनामा तारीख 04–07–2005 को घासीराम पुत्र जुम्मा व पूर्ण पुत्र जुम्मा जाति जाटव निवासी चिरखाना सब तहसील बहादरपुर व श्रीमति सम्पती धर्मपत्नी जुम्मा जाति चमार निवासी चिरखाना सब तहसील बहादरपुर से जरिये बयनामा खरीद किया हैं जो बयनामा उप पंजीयक महोदय बहादरपुर से तारीख 04–07–2005 को पंजीबद्ध किया हैं उक्त बयनामे में मिन सायला का घरेलू नाम ढेमली दर्ज कर दिया जबकि मिन सायला का नाम सन्तोष हैं जो सन्तोष मिन सायला के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक खाता व अन्य रिकार्ड में सन्तोंष नाम दर्ज हैं इसलिए ढेमली के आगे सन्तोष दर्ज किया जावे व बयनामे के तहत उक्त आराजी का इन्तकाल बय व इन्तकाल बय के तहत उक्त आराजी के बाबत व रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायला का नाम ढेमली दर्ज हुआ हैं इसलिए ढेमली के आगे उर्फ सन्तोंष रेवेन्यू रिकार्ड इन्तकाल व जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

यह कि उक्त बयनामे के तहत कागजातमाल, इन्तकाल बय व रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायला का नाम ढेमली दर्ज हुआ है। जबकि मिन सायला के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में सन्तोंष नाम दर्ज है। इसलिए मिन सायला का नाम इन्तकाल बय व इन्तकाल बय के तहत रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायला का ढेमली दर्ज किया हैं इसलिए ढेमली के आगे सन्तोष दर्ज किया जाना अति आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

यह कि आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 29 ऐयर चाही तृतीय वाके ग्राम चिरखाना सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर में स्थित है जिसकी हाल जमाबंदी में मिन सायला का घरेलू नाम ढेमली बयनामे में दर्ज करा दिया था व बयनामे के तहत मिन सायला के पक्ष में इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार हो गया है जिसमें मिन सायला का नाम ढेमली हैं व इन्तकाल बय के आधार पर उक्त आराजी के बाबत मिन सायला का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में ढेमली दर्ज हो गया हैं जबकि उक्त ढेमली मेरा घर का नाम हैं व सन्तोष आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में मेरा नाम सन्तोंष अंकित है। मुझे ढेमली व सन्तोंष दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता हैं ढेमली व सन्तोंष एक ही औरत हैं जो मिन सायला है मिन सायला ने सब तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर सब तहसीलदार बहादरपुर ने अदालत श्रीमान से आदेश कराकर लाने के बाबत कहा जिससे मौजूदा प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है।

उक्त इन्द्राज ढेमली कागजात माल में उक्त आराजी के बाबत कायम रहने से मिन सायला के हकूक जायल होकर खतरे में पडने का अंदेशा है व मिन सायला की बर्बादी का बाईस है। मिन सायला उक्त आराजी को रहन बय करने से मजबूर हैं उक्त आराजी पर बैंक से कर्जा लेने से मजबूर है चूंकि बैंक के अधिकारी मिन सायला सन्तोष को कर्ज नही दे रहे हैं बल्कि ढेमली को कर्ज देना चाहते है मिन सायला ने बैंक के अधिकारी से निवेदन किया है ढेमली और सन्तोष दोनो एक ही महिला है जो मिन सायला है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 29 ऐयर चाही तृतीय वाके ग्राम चिरखाना सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर बयनामे के तहत इन्तकाल बय व इन्तकाल बय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में मिन सायला का नाम ढेमली आया हैं ढेमली के आगे सन्तोंष दर्ज किया जावे चूंकि मिन सायला का नाम आधार कार्ड में सन्तोंष के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में मिन सायला का नाम सन्तोंष अंकित है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक/भू0अ0/2024/6132 दिनॉक 03.09.2024 अनुसार मुताबिक जमाबन्दी हाल. के खसरा नम्बर 655 रकबा 0.29 वादी ढेमली पत्नी बडडन हि0 1/2 जाति जाटव सा. खुदनपुरी दर्ज रिकोर्ड है। जो जर्ये नामान्तकरण सख्या 279 दिनांक 31/10/2005 से अमल दरामद हुआ है।

उक्त आराजी में वादी ढेमली पत्नी बडडन के स्थान पर संतोषदेवी पत्नी बडडन राजस्व रिकोर्ड में जर्ये राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रस्तुत के अनुसार दुरुस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ग्राम चिरखाना के आ०ख०नं० 655 रकबा 0.29 है. किस्म चाही तृतीय जोकि प्रार्थीया ने रजिस्टर्ड बयनामा से दिनांक 04.07.2005 को क्रय की है, जिसमें बैयनामा में अपना घरेलू नाम ढेमली दर्ज कराया गया। जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी ढेमली नाम ही चला आ रहा है। राजस्व त्रुटी नहीं है

मुताबिक जाँच रिपोर्ट प्रार्थीया अपना नाम ढेमली के स्थान पर संतोष दर्ज करवाना चाहती है। जिस बाबत पटवारी हल्का कारोली से जांच करवाई गई। पटवारी हल्का कारोली द्वारा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2024 मय घटना बही, में मोके पर मोजूद ग्रामवासियों द्वारा जाँच में पाया कि ढेमली व सन्तोष दोनों नाम एक ही महिला के है। प्रार्थीया द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश किया, जिनमें भी सन्तोष नाम दर्ज है। घटनाबही, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंतकाल नं. 279 दिनांक 31/10/2005 की कॉपी प्रस्तुत की गई है।

अतः उक्त आराजी में वादी ढेमली पत्नी बडडन के स्थान पर संतोषदेवी पत्नी बडडन राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो राजस्व त्रुटी नहीं है

प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया साथ ही प्रार्थना पत्र का नियमो के परिपेक्ष्य मे अवलोकन किया गया मुताबिक पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी द्वारा ग्राम चिरखाना के आ०ख०नं० 655 रकबा 0.29 है. किस्म चाही तृतीय जो कि प्रार्थीया ने रजिस्टर्ड बयनामा कमाक 95148 दिनांक 04.07.2005 को क्रय की है बैयनामा श्रीमती ढेमली धर्मपत्नी श्री बडडन जाति जाटव उम्र करीबन 35 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी चांवड कालोनी, खुदनपुरी रोड अलवर के नाम से किया गया है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी ढेमली नाम ही चला आ रहा है। राजस्व त्रुटी नहीं है जिससे प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 16-12-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner